



F-07-07

सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1927 / Type Approval No. 1927

मद/FOR ITEM: एमएसएस एंटना रेडॉम, पार्ट सं. 13542000XXXX
MSS Antenna Radome, Part no.13542000XXXX

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स एवांटेल् लिमिटेड, प्लॉट सं. 47/पी, एपीआईआईसी इंडस्ट्रियल पार्क, गंभीरम विलेज, आनंदपुरम मंडल, विशाखापट्टनम- 531 163 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित, " एमएसएस एंटना रेडॉम ", पार्ट सं. 13542000XXXX को मास्टर आरेखन इंडेक्स सं. एवीएल/एमएसएस/आरसीएमए/रैन्डम/एमडीआई/00, इश्यू सं.1, रिविज़न:1, दिनांक 27 फरवरी 2013, के अनुसार डॉर्नियर वायुयान में उपयोग हेतु अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (हैदराबाद) की रूपरेखाओं से क्वालिफिकेशन टेस्ट प्रोसीजर दस्तावेज़ सं. एवीएल/एमएसएस/आरडीएम/एमआर/क्यूटीपी/00, इश्यू:1, रिविज़न:0, दिनांक 02 जनवरी 2013 और क्वालिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट दस्तावेज़ सं. एवीएल/एमएसएस/आरडीएम/एमआर/क्यूटीआर/00, दिनांक 28 फरवरी 2013 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "MSS Antenna Radome" bearing the Part No.: 13542000XXXX designed, developed and manufactured by M/s Avantel Limited, Plot no.:47/P, APIIC Industrial Park Gambheeram Village, Anandpuram Mandal, Visakhapatnam- 531163 as per Master Drawing Index No.: AVL/MSS/RCMA/RADOME/MDI/00, issue no. 1, Rev: 1, dated: 27th February 2013 for use in Dornier Aircraft. It has been tested as per Qualification Test Procedure Document No.: AVL/MSS/RDM/MR/QTP/00, Issue: 1, Rev.:0, dated: 02nd January 2013, and Qualification Test Report Doc. No.: AVL/MSS/RDM/MR/QTR/00, Dated: 28th February 2013 outlined by RCMA (Hyderabad). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 अक्टूबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता, इसके बाद इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (हैदराबाद), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st October 2022 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Hyderabad), for subsequent renewal, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।


Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए'/Appendix 'A'
सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1927
दिनांक/Date : 25 November 2017
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

BR
JR
21/11/17


पी जयपाल / P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)